(5)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर झुंझुनू

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ग्राम पंचायत बाकरा

प्रकरण संख्या 01/2018

1. सुवाराम पुत्र मालाराम जाति मेघवाल निवासी ग्राम देवीपुरा वाया पातुसरी तहसील व जिला झुंझुनू

प्रार्थी:—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार झुंझुनू

अप्रार्थी:—

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

दिनांकः—18.05.2018

निर्णय

आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प ग्राम पंचायत बाकरा में पेश हुई। प्रार्थी व पैरोकार सरकार उपस्थित। पत्रावली निर्णय में ली जाकर अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र के संक्षेप्प में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि वाके ग्राम देवीपुरा पटवार हल्का बाकरा तहसील झुंझुनू में खाता संख्या 9 में दर्ज भूमि के वर्तमान खसरा न. 463 रकबा 0.82 हैक्टर, खसरा न. 464 रकबा 0.58 हैक्टर, खसरा न. 473 रकबा 0.27 हैक्टर, खसरा न. 524 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा न. 525 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा न. 526 रकबा 0.19 हैक्टर, खसरा न. 527 रकबा 0.61 हैक्टर, खसरा न. 528 रकबा 0.04 हैक्टर, खसरा न. 538 रकबा 0.47 हैक्टर, खसरा न. 539 रकबा 0.81 हैक्टर, खसरा न. 540 रकबा 0.20 हैक्टर, खसरा न. 547 रकबा 0.70 हैक्टर, खसरा न. 542 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा न. 543 रकबा 0.64 हैक्टर कुल किता 14 कुल रकबा 5.66 हैक्टर स्थित है। जो आवेदक के पिता मालाराम उर्फ मालिया व उसके केसिया उर्फ केसाराम के नाम दर्ज थीं प्रार्थी के पिता का देहान्त होने पर उनके स्थान पर औंकारमल, हिमताराम, सोहनलाल पुत्रान मालाराम के नाम दर्ज हो गई तथा शेष हिस्सा बदस्तुत जमाबन्दी रहा। उक्त रिकार्ड दुरूस्ती से किसी भी खातेदार के हितो पर विपरित प्रभाव नही पड़ेगा। इसलिए सहखातेदारो को पक्षकार नही बनाया गया है तथा प्रतिवादी तहसीलदार झुंझुनू को राजस्थान सरकार की प्रतिनिधी भूमिधारक होने से पक्षकार बनाया गया है। अतः उक्त प्रार्थना—पत्र में वर्णित भूमि मे राजस्व रिकार्ड मे आवेदक का नाम सुवाराम पुत्र मालाराम की जगह सोहनलाल पुत्र मालाराम दर्ज किया गया था। जो एक लिपिकिय भूल थी। जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। उक्तानुसार प्रार्थना—पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपना जवाब पेशकर प्रार्थी का नाम सोहनलाल के बजाय सुवाराम दुरूस्त करने की अभिशंषा अपने जवाब में वर्णित किया है। प्रार्थना—पत्र प्रार्थी में वर्णित तथ्यों व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रिकार्ड व तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस मे वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया गया। जिससे प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम देवीपुरा तहसील झुंझुनू की जमाबन्दी सम्वत् 2072—75 के खाता संख्या 9 मे वर्तमान मे दर्ज प्रविष्टि सोहनलाल के स्थान पर सुवाराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार झुंझुनू उक्त घोषणानुसार राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम दुरूस्त कर अमल दरामद करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 18.05.2018 को कैम्प मुकाम ग्राम पंचायत बाकरा में सुनाया गया।

(अलका बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
झुन्झुनू (राज.)

Scanned by CamScanner